ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–340/13 1506 /पटना, दिनांक :– 19/09/2020

श्री संजय कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निगरानी विभाग के पत्रांक 2074 अनु० दिनांक 26.04.2013 के द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बाराचट्टी से मध्य विद्यालय डाढ़ खजौली पथ निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के लिए उत्तरदायी मानते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक 4191 दिनांक 21.11.2013 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विभागीय निदेश के आलोक में श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरान्त अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–2414 अनु० दिनांक 29.07.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 7444 अनु0 दिनांक 28.07.2017 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत उससे असहमत होते हुए असहमति संसूचित करते हुए असहमति के बिन्दुओं पर श्री सिंह से विभागीय पत्रांक 2706 अनु0 दिनांक 05.09.2019 द्वारा पत्र प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री सिंह द्वारा द्वितीय बचाव बयान निर्धारित अवधि में समर्पित नहीं किये जाने के कारण एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती अगले पाँच वर्षो तक किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

19/9/2020

6. श्री संजय कुमार सिंह, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध अनुमोदित शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक 1267 अनु0 दिनांक 07.[illegible].2020 द्वारा सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

7. विभागीय शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1399 दिनांक 18.09.2020 द्वारा सहमति संसूचित किया गया।

अतएव विभागीय निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री संजय कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है –

(i) पेंशन से पाँच प्रतिशत (05%) की कटौती अगले पाँच (05) वर्षो तक।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/9/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–340/13 1507 /पटना, दिनांक :– 19/09/2020

प्रतिलिपि :–ई कोषांग, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

19/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1507 पटना/दिनांक :– 19/09/2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिवान एवं निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/9/2020.

अपर सचिव

अनु

Dsk/ANU2020/Draft2020

अनु

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1507 पटना/दिनांक :– 19/09/2020

प्रतिलिपि :–बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 1399 दिनांक 18.09.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1507 पटना/दिनांक :– 19/09/2020

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी एवं हथुआ/प्रशाखा पदाधिकारी–6/ श्री संजय कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :–ग्राम–खोरी पाकड़ गोविन्द, पोस्ट+थाना–अमनौर, जिला–सारण, पिन कोड–841401 को सूचनार्थ प्रेषित।

19/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1507 पटना/दिनांक :– 19/09/2020

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

19/9/2020
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1507 पटना/दिनांक :– 19/09/2020

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

19/9/2020
अपर सचिव